[2022] 7 एस.सी.आर.522

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

बनाम

मेसर्स आईवीआरसीएल एएमआर जॉइंट वेंचर

(सिविल अपील नं॰ 4914 / 2022)

25 जुलाई, 2022

[डॉ. धनंजय वाय. चंद्रचूड और ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस.एस. 2(बी), 7 और 11(6) -मध्यस्थता समझौता - गुण - अनुबंध मध्यस्थता अपीलकर्ता (कोल इंडिया CIL की एक सहायक संस्था) और प्रतिवादी के बीच 30 जनवरी 2012 को किया गया-पक्षों के बीच विवाद - उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11(6) के तहत अधिकार का आह्वान उस तथ्य पर चुनौती दी गई कि पक्षों के बीच धारा 2(b) और 7 के अर्थ में कोई सुलह समझौता नहीं था - निष्कर्ष: उच्च न्यायालय के द्वारा 30 जनवरी 2012 की संविदा समझौता की धारा 15 को सुलह समझौता के रूप में समझना गलत था-संविदा समझौता की धारा 15 का शीर्षक "विवादों का निवारण/सुलह" था, हालांकि, प्रावधान का मूल भाग स्पष्टता से दर्शाता है कि पक्षों के बीच कोई सुलह समझौता नहीं था-संविदा समझौता की धारा 15 एक संस्था स्तर पर विवाद निवारण प्रक्रिया थी, सुलह समझौता के बजाय और धारा 7 के अनुसार सुलह समझौता के मौलिक गुणों के साथ मेल नहीं खाती थी और जगदीश चंदर मामले में निर्धारित सिद्धांतों के साथ भी नहीं। नीति प्रलेख / संचार जो 7 अप्रैल 2017 को कोल इंडिया (कोल इंडिया CIL) द्वारा जारी किया गया था, उसे भी धारा 7 के अनुसार अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक सुलह समझौता के रूप में नहीं समझा जा सकता, ताकि अपीलकर्ता को एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि यह सिर्फ कोल इंडिया (कोल इंडिया CIL) की ओर से इच्छा को दर्शाता है कि कार्य संविदा से संबंधित विवादों को सुलह द्वारा निपटाना है और दोनों पक्षों से यह अनुरोध करता है कि विवाद उत्पन्न होने पर सुलह की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए एक और समझौता पर पहुंचें - इस प्रकार धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार का आह्वान उचित रूप से मान्य नहीं था और अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई सुलह

समझौता नहीं होने की स्थिति में सुलह की ओर कोई संदर्भ नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी हालांकि, कानून में उपलब्ध उपाय की मांग करने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसकी शिकायतों का निवारण किया जा सके।

अपील को स्वीकारते हुए, न्यायालय ने

<u>अभिनिर्धारित किया</u>: 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,1996 की धारा 2(b) एक सुलह मध्यस्थता को धारा 7 में संदर्भित समझौता के रूप में परिभाषित करती है। धारा 7 के अनुसार, सुलह मध्यस्थता पक्षों द्वारा एक परिभाषित कानूनी संबंध के संदर्भ में, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं, जो उत्थित हो चुके हैं या जो उत्थित हो सकते हैं, सभी या कुछ विवादों को सुलह के लिए सौंपने का समझौता है। धारा 7 की उप-धारा (2) प्रावधान करती है कि सुलह मध्यस्थता एक संविदा में सुलह धारा के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। धारा 7 की उप-धारा (3) के अनुसार, सुलह मध्यस्थता लिखित में होना चाहिए। [पैरा 8]

2. वर्तमान मामले में, संविदा समझौता की धारा 15 का शीर्षक "विवादों का निवारण/सुलह" है। हालांकि, प्रावधान का मूल भाग स्पष्टता से दर्शाता है कि पक्षों के बीच कोई सुलह समझौता नहीं है जो वर्तमान या भविष्य के विवादों को सुलह के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत है। संविदा समझौता की धारा 15 एक संस्था स्तर पर विवाद निवारण प्रक्रिया है, सुलह मध्यस्थता के बजाय। इस परिणाम स्वरूप, विवाद की स्थिति में, प्रतिवादी को विवाद को सुलझाने के लिए प्रमुख अभियन्ता को लिखना था। धारा 15, 1996 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार मध्यस्थता समझौते के मौलिक गुणों के साथ मेल नहीं खाती है और न ही जगदीश चंदर मामले में निर्धारित सिद्धांतों के साथ। धारा के साधारण पठन से इसके महत्व में कोई संदेह नहीं है। वर्तमान या भविष्य के विवादों को समझौते के लिए संदर्भित करने के लिए कोई लिखित समझौते नहीं है। न तो धारा का मूल भाग सुलह के रूप में समाधान का संदर्भ करता है और न ही यह पक्षों के बीच के विवादों का संदर्भ सुलह के लिए प्रदान करता है। यह पक्षों के बीच में उत्पन्न हो सकते विवादों के संबंध में **प्रमुख अभियन्ता, या उस मामले में किसी अन्य व्यक्ति को, मध्यस्थ बनाने की दोनों पक्षों की भावना को प्रकट नहीं करता है। इसके अलावा, कहीं भी नहीं लिखा है कि **प्रमुख अभियन्ता**, या किसी अन्य का निर्णय पक्षों पर अंतिम या बाध्यकारी हो। इसलिए, यह उच्च न्यायालय की तरफ से गलत था कि वह संविदा समझौते की धारा 15 को मध्यस्थता समझौता के रूप में समझे। [अनुच्छेद 10, 13]**

जगदीश चंदर बनाम. रमेश चंदर (2007) 5 SCC 719 : [2007] 5 SCR 720 - पर निर्भर किया गया।

3. 7th अप्रैल, 2017 को, कोल इंडिया CIL ने अपने मुख्य प्रबंधकों के लिए विवाद या अंतर के निपटारे के लिए एक नीति प्रलेख जारी किया जो कार्य और सेवा संविधान से उत्पन्न होते हैं। हालांकि, 7 अप्रैल 2017 की संचार पत्र बस कोल इंडिया CIL की तरफ से कार्य संविधान से संबंधित विवादों को सुलह द्वारा निपटाने की इच्छा को सूचित करता है। यह दोनों पक्षों से यह मांगता है कि वे विवाद उत्पन्न होने पर सुलह के लिए आगे की समझौता पर पहुँचें। इसलिए, *जगदीश चंदर* मामले में निर्धारित सिद्धांतों के माध्यम से, एक पूर्वाधार की श्रृंखला का पालन करते हुए, उपर्युक्त संचार में धारा 5 को 1996 की अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच में सुलह समझौता के रूप में नहीं समझा जा सकता ताकि अपीलकर्ता को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जा सके। [अनुच्छेद 14 और 17]

4. 1996 के अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्र में हस्तक्षेप सही नहीं था और अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं होने की स्थिति में, मध्यस्थता के लिए कोई संदर्भ नहीं किया जा सकता था। हालांकि, प्रतिवादी को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानून में उपलब्ध उपाय की तलाश में जाने की स्वतंत्रता होगी। [अनुच्छेद 19]

के.के.मोदी बनाम के. एन. मोदी (1998) 3 SCC 573 : [1998] 1 SCR 601*; भारत भूषण बंसल बनाम. यू. पी. स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड* (1999) 2 SCC 166 : [1999] 1 SCR 181; *बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम. एनकॉन बिल्डर्स (I) (P) लिमिटेड* (2003) 7 SCC 418 : [2003] 2 suppl. SCR 812; *स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम. दामोदर दास* (1996) 2 SCC 216 : [1995] 6 Suppl. SCR 800 और *IB वैली ट्रांसपोर्ट, विजय लक्ष्मी (P) लिमिटेड बनाम. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड* (2014) 10 SCC 630 - संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 5 SCR 720	पर निर्भर	पैरा 9
[1998] 1 SCR 601	संदर्भित	पैरा 9
1999] 1 SCR 181	संदर्भित	पैरा 9
[2003] 2 Suppl. SCR 812	संदर्भित	पैरा 9
[1995] 6 Suppl. SCR 800	संदर्भित	पैरा 9

(2014) 10 SCC 630 **संदर्भित** **पैरा 12**

सिविल अपील अधिकारिकता: सिविल अपील नं। 4914 का 2022

ओडिशा की उच्च न्यायालय से निर्णय और आदेश दिनांक 29.11.2019 में ARBP नं। 44 का 2018

के. के. वेणुगोपाल, AG, सौम्यजीत पाणी, सिद्धार्थ जैन, वकील अपीलकर्ता के लिए।

एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ वकील, पोलंकी गौतम, अमिताभ सिन्हा, संजय मिश्रा, अजित यादव, मिस दिव्या रॉय, वकील प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया था।

डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति.

1. अनुमति प्रदान किया गया।

2. अपीलकर्ता, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड [1] की एक सहायक कंपनी है। प्रतिवादी आईवीआरसीएल एएमआर, संयुक्त उद्यम इंजीनियरिंग ठेकेदारों का एक संयुक्त प्रयास है जो आधारिक संरचना विकास के व्यापार में लगा हुआ है। 11 अक्टूबर 2010 को अपीलकर्ता ने तालचर कोलफील्ड्स में एक कोयला परिवहन मार्ग को मजबूती देने और चौड़ा करने के कार्य के लिए एक ई-निविदा जारी की। प्रतिवादी सफल निविदाकर्ता था और 14 दिसंबर 2011 को एक कार्य आदेश प्रदान किया गया। पार्टियों के बीच 30 जनवरी 2012 को एक 'संविदा समझौता' किया गया था, जिसके अनुसार कार्य आदेश 16 जनवरी 2012 से 14 जनवरी 2015 के बीच निष्पादित किया जाना था।

3. 28 जून 2012 को हुई बैठक में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी उपयुक्त कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के लिए उपकरणों की प्रवृत्ति को तेजी से करने की सलाह दी। बाद में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को कार्य अनुसूची के अनुसार काम तेज करने के लिए कई पत्र भेजे। 2013 और 2014 में, जब प्रतिवादी कार्य अनुसूची का पालन नहीं कर पाया, तो अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को कई सूचनाएँ भेजी। अंततः, प्रतिवादी ने 15 मई 2014 को कार्य को पूरा करने में देरी और

अपीलकर्त्ता की कार्य अनुसूची को पालन नहीं कर पाने की क्षमता के कारण कार्यादेश को समाप्त कर दिया।

4. उसके बाद, 12 अक्टूबर 2017 को प्रतिवादी ने Rs. 128,65,12,688 का दावा उठाया, जिसमें अपीलकर्ता की तरफ से की गई देरियों और चूकों का विवरण दिया। दावा को 18 दिसंबर 2017 को अपीलकर्ता ने खारिज कर दिया। उसके बाद, प्रतिवादी ने 9 अप्रैल 2018 को अपीलकर्ता को संविदा समझौते की धारा 15 के अनुसार मध्यस्थता की सूचना भेजी। इस मध्यस्थता सूचना के माध्यम से, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से **न्यायधीश** असोक कुमार गांगुली को एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की सहमति देने की मांग की। मध्यस्थता सूचना का 15 दिनों में कोई जवाब न मिलने पर, प्रतिवादी ने अधिनियम 1962 की धारा 11(6) के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किया।

5. 29 नवंबर 2019 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायधीश ने 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत की गई आवेदन को स्वीकार करते हुए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

"3. दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित वकील इस तथ्य को विवादित नहीं करते हैं कि अनुबंध समझौते की धारा 15 "विवाद / मध्यस्थता" की प्रावधान करती है अगर पक्षों के बीच कोई विवाद या अंतर है।

4. आर शर्मा, विपक्षी पक्ष के प्रतिष्ठित वकील ने मेरिट पर विभिन्न तर्क उठाए हैं। उसने इस अदालत की सूचना में 14.12.2011 की पत्र (अन्नेक्सर-3) की धारा 19 को भी लाया है, जो इस प्रकार पढ़ता है:

"19. यदि इस टेंडर और कार्यादेश के आधार पर किए गए अनुबंध समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद या अंतर को लेकर मामले होते हैं, तो वह जिला न्यायालय, अंगुल के अधिकारक्षेत्र में ही सीमित रहेंगे।"

5. हालांकि, मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, जो (2019) 8 SCC 714 में प्रकाशित हुआ था, न्यायालय को देखना होगा मध्यस्थता प्रावधान में देखना होगा। इस दृष्टिकोण में मामले को मध्यस्थ के पास भेजना आवश्यक है।"

6. श्री के के वेणुगोपाल, भारत के मान्य अटॉर्नी जनरल, अपीलकर्ताओं की तरफ से उपस्थित हैं, जबकि श्री एस निरंजन रेड्डी, मान्य वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित हैं।

7.अपीलकर्ताओं की तरफ से मान्य अटॉर्नी जनरल द्वारा जो प्रस्तुति की गई है, वह यह है कि 30 जनवरी 2012 की संविदा समझौते की धारा 15 में संविदा समझौता नहीं है। इसलिए, यह तर्क किया गया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 2(b) और 7 के अर्थ में संविदा समझौते की अनुपस्थिति में, धारा 11(6) के अधिकारक्षेत्र को प्रारंभ करना मान्य नहीं था। प्रस्तुति को समझने के लिए, संविदा समझौते की धारा 15 को उद्धृत करना आवश्यक होगा। प्रावधान इस प्रकार है:

"15. विवाद निपटान/मध्यस्थता:

15.1 ठेकेदार पर यह फर्ज है कि कार्यान्वयन के दौरान मुकदमा और विवाद से बचे। हालांकि, अगर ऐसे विवाद ठेकेदार और विभाग के बीच होते हैं, तो पहली कोशिश की जाएगी कि विवाद को कंपनी स्तर पर ही सुलझाया जाए। विवाद/दावे के मामले के उत्थान के 30 (तीस) दिनों के भीतर ठेकेदार को प्रमुख अभियन्तासे ऐसे विवाद/दावे के निपटारा के लिए लिखित में अनुरोध करना चाहिए, अन्यथा कंपनी ठेकेदार के किसी भी विवाद/दावे को मान्य नहीं करेगी।

15.2 यदि अंतर अब भी बना रहता है, तो सरकारी एजेंसियों के साथ विवाद का निपटारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के अन्य पक्षों के मामले में, विवाद का समाधान कानून की अदालत में खोजा जा सकता है।"

8. 1996 के अधिनियम की धारा 2(b) में मध्यस्थता समझौता को परिभाषित किया गया है जैसा कि धारा 7 में संदर्भित है। धारा 7 के अनुसार, मध्यस्थता समझौता वह है जब पक्ष एक निर्धारित कानूनी संबंध के संदर्भ में, चाहे वह संविदात्मक हो या न हो, उनके बीच उत्थित हुए या जो उत्थित हो सकते हैं, सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता में प्रस्तुत करने का समझौता करते हैं। धारा 7 की उप-धारा (2) तय करती है कि मध्यस्थता समझौता एक संविदा में मध्यस्थता प्रावधान के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। धारा 7 की उप-धारा (3) के अनुसार, मध्यस्थता समझौता लिखित में होना चाहिए। फिर धारा 7 की उप-धारा (4) तय करती है कि:

"(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित में होता है यदि वह शामिल है-

(a) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में;

(b) पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करने वाले अन्य साधनों के माध्यम से संवाद में; या

(c) दावा और रक्षा के बयानों के आदान-प्रदान में, जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते की अस्तित्व का दावा किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा उसे अस्वीकार नहीं किया जाता है।"

9. **जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर, 3** में, इस अदालत की दो जजों की पीठ, ***के. के. मोदी वर्सेस के. एन. मोदी*, 4 भारत भूषण बंसल बनाम उ.प्र. छोटे उद्योग निगम लिमिटेड, 5 बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एंकॉन बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड, 6 और उड़ीसा राज्य बनाम दामोदर दास, 7** में पहले किए गए फैसलों पर भरोसा करते हुए, एक मध्यस्थता समझौता क्या होता है इसे लेकर सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया। **न्यायमूर्ति** आर वी रवींद्रन, पीठ की ओर से बोलते हुए, मान्यता दी गई कि मध्यस्थता समझौते में प्रयुक्त शब्दों से पक्षों की ओर से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक संकल्प और प्रतिबद्धता का पता चलना चाहिए। इस अदालत ने निर्धारित किया:

"8 (i) पक्षों का मध्यस्थता समझौता में प्रवेश करने का इरादा समझौते की शर्तों से जुटाया जाना चाहिए। यदि समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप से पक्षों के इरादे को सूचित करती हैं कि वे अपने विवादों को निजी न्यायिक प्राधिकरण के पास निर्णय के लिए संदर्भित करेंगे और ऐसे विवादों पर ऐसे प्राधिकरण के निर्णय से जुड़े रहने की इच्छा रखते हैं, तो यह मध्यस्थता समझौता है। **हालांकि मध्यस्थता समझौते का कोई विशेष रूप नहीं है, शब्दों का उपयोग मध्यस्थता की ओर जाने के लिए एक संकल्प और प्रतिबद्धता को प्रकट करना चाहिए और न कि केवल मध्यस्थता के लिए जाने की संभावना को देखना। जहां केवल पक्षों के भविष्य में मध्यस्थता के लिए सहमत होने की संभावना है, जैसा कि विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के प्रतिबद्धता से तुलना में, वहां कोई मान्य और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं है।"**

(ii) यदि विवादों के निर्णय संबंधी प्रक्रिया के संदर्भ में या विवादों पर निर्णय देने वाली निजी प्राधिकरण के संदर्भ में "मध्यस्थता" और "मध्यस्थ अधिकरण (या मध्यस्थ)" शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भी यह एक मध्यस्थता समझौता होता है अगर इसमें मध्यस्थता समझौते के गुण या तत्व होते हैं। ये हैं: (a) समझौता लिखित

रूप में होना चाहिए। (b) पक्षों को उनके बीच किसी भी विवाद (वर्तमान या भविष्य) को एक निजी प्राधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने पर सहमत होना चाहिए। (c) निजी प्राधिकरण को विवादों पर एक पक्षपाती रूप से निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए, पक्षों को इसके सामने अपना मामला रखने का समय देना चाहिए। (d) पक्षों को विवादों के संबंध में निजी प्राधिकरण के निर्णय को स्वीकार करने पर सहमत होना चाहिए।

`(iii) जहां प्रावधान प्रदान करता है कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, यह एक मध्यस्थता समझौता है। जहां मध्यस्थता द्वारा विवादों को हल करने की स्पष्ट और प्रत्यक्ष अभिवृत्ति होती है, इसे मध्यस्थता समझौता बनाने के लिए मध्यस्थता समझौते के गुण बताने की जरूरत नहीं है। **लेकिन जहां विवादों के निपटान संबंधी प्रावधान में वे शब्द हैं जो विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते के किसी भी गुण को बाहर करते हैं या मध्यस्थता समझौते से कुछ भी हटा देते हैं, तो यह मध्यस्थता समझौता नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, जहाँ एक समझौता एक प्राधिकृत व्यक्ति को सुनवाई के बिना दावा या विवाद निर्धारित करने की अनुमति देता है, या प्राधिकृत व्यक्ति को केवल पक्षों में से एक की हित में कार्यवाही करने की अनुमति देता है, या यदि प्राधिकृत व्यक्ति का निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी नहीं होगा, या यदि किसी पक्ष को प्राधिकृत व्यक्ति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह सिविल याचिका दायर कर सकता है, तो इसे मध्यस्थता समझौता नहीं कहा जा सकता है।**

(iv) किंतु केवल "मध्यस्थता" या "मध्यस्थ" शब्द का उपयोग करना एक प्रावधान में इसे मध्यस्थता समझौता नहीं बनाएगा, अगर यह मध्यस्थता के संदर्भ में पक्षों की और या ताजा सहमति की आवश्यकता है या इसे मानता है। उदाहरण स्वरूप, "पक्ष अगर चाहें तो अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं" या "किसी भी विवाद की स्थिति में, पक्ष मध्यस्थता के लिए उसी को संदर्भित करने के लिए भी सहमत हो सकते हैं" या "अगर पक्षों के बीच किसी भी विवाद उत्पन्न होता है, तो वे मध्यस्थता द्वारा समाधान पर विचार करने का विचार करने चाहिए" विवादों के निपटान संबंधित प्रावधान में यह सूचित करता है कि प्रावधान को मध्यस्थता समझौता बनाने का इरादा नहीं है। **इसी तरह, जो प्रावधान कहता है कि "अगर पक्ष इस तरह निर्णय करते हैं, तो विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाएंगे" या "पक्षों के बीच किसी भी विवाद, अगर वे इस तरह सहमत हैं, मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाएंगे" वह मध्यस्थता समझौता नहीं है। ऐसे प्रावधान बस विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने की इच्छा या आशा को सूचित करते हैं, या जब और जब विवाद उत्पन्न होता है, तो मध्यस्थता को समाधान के रूप में खोजने के लिए एक अनिश्चित व्यवस्था है। किसी**

समझौते या समझौते में एक प्रावधान जो एक संधारण के लिए आगे की सहमति या सहमति की अपेक्षा करता है, वह विवाद निवारण समझौता नहीं है, बल्कि भविष्य में विवाद निवारण समझौते में प्रवेश करने के लिए एक समझौता है।"

(जोर दिया गया)

10. वर्तमान मामले में, संविदा समझौते की धारा 15 को "विवादों का निपटान/मध्यस्थता" के रूप में शीर्षकित किया गया है। हालांकि, प्रावधान के मौलिक हिस्से से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पक्षों के बीच मौजूदा या भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है।

11 धारा 15.1 में पक्षों के बीच विवादों के निपटान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संदर्भ है। धारा 15.2 में प्रावधान है कि यदि भिन्नताएँ अब भी बनी रहती हैं, तो सरकारी एजेंसियों के साथ विवादों के निपटान को वित्त मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के अन्य पक्षों के मामले में, विवादों का निवारण किसी कानूनी अदालत में खोजा जाना चाहिए।

12. संविदा समझौते की धारा 15 के समान एक प्रावधान प्रकरण में इस अदालत की एक पीठ द्वारा परिवेदित किया गया था, **"आईबी वैली ट्रांसपोर्ट, विजय लक्ष्मी (पी) लिमिटेड बनाम. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में जे चेलामेश्वर और ए. के. सिकरी,**"8 के संविदान में। उस केस में, प्रावधान को कंपनी स्तर पर अन्य उपयुक्त कानूनी उपायों की प्रतिस्थापना से पहले खत्म होने के रूप में व्याख्यायित किया गया था। इसे नोट किया गया था:

"10. उपर्युक्त घटनाओं का वर्णन करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि सामान्य शर्तों और शर्तों की धारा 12 कानूनी उपायों की प्रतिस्थापना से पहले विवाद निवारण का एक तंत्र प्रदान करती है। इस प्रावधान में विशेष रूप से यह कहा गया है कि यह ठेकेदार पर अनिवार्य है कि वह कार्यान्वयन के दौरान मुकदमा और विवाद से बचे। अगर ठेकेदार और विभाग के बीच कोई विवाद होता है, तो पहला प्रयास विवादों को कंपनी स्तर पर हल करने का किया जाएगा। इसके अलावा, इस प्रावधान में कहा गया है कि ठेकेदारों को ऐसे विवाद/दावे के निवारण के लिए इंजीनियर प्रभारी को लिखित में अनुरोध करना चाहिए जो 30 दिनों के भीतर विवाद/दावे के कारण उत्पन्न होता है।"

(जोर दिया गया)"

13. उपरोक्त अंश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संविदा समझौते की धारा 15 कंपनी स्तर पर विवाद निवारण प्रक्रिया है, विवाद निवारण समझौता की तुलना में नहीं। इस परिणामस्वरूप,

विवाद की स्थिति में, प्रतिवादी को विवाद को सुलझाने के लिए इंजीनियर-प्रभारी को लिखना चाहिए था। धारा 15 का विवाद निवारण समझौता की मौलिक विशेषताओं के साथ मेल नहीं खाता है, जैसा कि 1996 की अधिनियम की धारा 7 में **जगदीश चंदर** (उपरोक्त) के अंतर्गत तय किए गए सिद्धांतों में है। उपरोक्त धारा को सादा पढ़ाई जाने पर इसके आयात में किसी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ता। ना तो वर्तमान और भविष्य के विवादों को विवाद निवारण के लिए संदर्भित करने के लिए किसी लिखित समझौते का उल्लेख है। धारा का मौलिक भाग न तो निपटान का तरीका के रूप में विवाद निवारण को संदर्भित करता है, और न ही यह पार्टियों के बीच के विवादों का संदर्भ विवाद निवारण के लिए प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक पक्ष की इच्छा का कोई प्रकटीकरण नहीं है कि वह इंजीनियर-प्रभारी, या उस समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, पार्टियों के बीच उत्पन्न हो सकने वाले विवादों के संबंध में विवाद निवारण बना दे। इसके अलावा, उक्त धारा इंजीनियर-प्रभारी के निर्णय को, या किसी अन्य विवाद निवारण को, पार्टियों पर अंतिम या बाध्यकारी नहीं बनाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय की ओर से संविदा समझौते की धारा 15 को विवाद निवारण समझौता के रूप में स्वीकार करना गलत था।"

14. हालांकि, प्रतिवादी की तरफ से श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा आग्रह किया गया है कि पहली अपीलकर्ता कोल इंडिया (CIL) की एक सहायक कंपनी है। इसे प्रस्तुत किया गया है कि 7 अप्रैल 2017 को, कोल इंडिया (CIL) ने अपने महाप्रबंधकों को विवाद या अंतर के निवारण के लिए कार्यों और सेवा अनुबंधों से उत्थित विवाद निवारण के लिए एक नीति प्रलेख जारी किया। उपरोक्त संचार की धारा 5 निम्नलिखित प्रदान करती है:

"अतीत/मौजूदा कार्य आदेश/संविदा:

5. मौजूदा कार्य आदेश/संविदा में उत्थित होने वाले विवाद/अंतर को लेकर, नियोक्ता (विभाग) को वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो विवाद का निवारण विवाद निवारण के माध्यम से करने के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ना ही कोल इंडिया CIL मैन्युअल में और ना ही अब तक के संविदा दस्तावेज में विवाद निवारण के बारे में कोई धारा है, इसलिए विवाद/अंतर को सीधे विवाद निवारण के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विषय को विवाद निवारण के लिए संदर्भित करने से पहले, दूसरे पक्ष (ठेकेदार) की सहमति विवाद/अंतर के निवारण के लिए जरूरी है। एक बार, जब ठेकेदार संविदा के जरिए उत्थित विवाद/अंतर के निवारण के लिए सहमत होता है, तो नियोक्ता और ठेकेदार के बीच विवाद/अंतर को सोल विवाद निवारण द्वारा संदर्भित करने के लिए एक समझौता हो सकता है, जिसे कोल इंडिया (CIL/CMD) की संबलित प्राधिकृत प्राधिकृत द्वारा नियुक्त किया जाता है (जैसा कि मामला हो सकता है)। बाकी प्रक्रिया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होगी, जैसा कि 2015 के

संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित और भी धारा "विवाद का निवारण विवाद निवारण के माध्यम से" में शामिल निर्देश के अनुसार।"

15. अत: यह आग्रह किया जाता है कि पहली अपीलकर्ता कोल इंडिया (CIL) की एक सहायक कंपनी होने के नाते और एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम होने के नाते यह विचार कर सकती है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच उत्थित विवाद को विवाद निवारण के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने 20 जुलाई 2018 को ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विवाद निवारण याचिका संख्या 59 का 2016 में दिया गया आदेश पर आधारित किया।

16 . हम 7 अप्रैल 2017 को दिये गए नीति पत्र पर आधारित प्रतिवादी की तरफ से किए गए प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कोल इंडिया ,CIL द्वारा जारी किया गया संचार विवाद या अंतर के सहमत से निवारण की संभावना को संदर्भित करता है, क्योंकि ना ही कोल इंडिया CIL मैन्युअल में और ना ही उस समय के संविदा दस्तावेज में विवाद निवारण के बारे में कोई धारा थी। हालांकि, इसे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब ठेकेदार ने विवाद का निवारण विवाद निवारण के माध्यम से सहमत हो लिया है, तो समझौता नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हो सकता है, जो विवाद निवारण के लिए संदर्भित हो, जिसे कोल इंडिया, CIL की संबलित प्राधिकृत द्वारा नियुक्त किया जाएगा या, जैसा कि मामला हो, सहायकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा।"

17. 7 अप्रैल 2017 की संचार में केवल कोल इंडिया, CIL की ओर से कार्य संविदाओं से संबंधित विवादों को विवाद निवारण से निपटाने की इच्छा को दर्शाया गया है। जब विवाद उत्थित होता है तो विवाद निवारण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों को आगे की समझौते पर पहुँचना होता है। अतः, **जगदीश चंदर** (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों के माध्यम से, पूर्वावलंब की एक श्रृंखला का पालन करते हुए, उपर्युक्त संचार में धारा 5 को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच में 1996 की धारा 7 के अनुसार विवाद निवारण समझौता के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता है जिससे अपीलकर्ता को एक विवाद निवारक को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जाए।

18. ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 20 जुलाई 2018 का आदेश इस समझ पर आधारित है कि दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित वकील इस तथ्य को विवादित नहीं करते हैं कि संविदा समझौते की धारा 15 और 7 अप्रैल 2017 के कोल इंडिया (CIL) द्वारा लिए गए

नीति निर्णय की धारा 5 पक्षों के बीच किसी भी विवाद या अंतर के मामले में विवाद निवारक की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। अतः, आदेश वकील की समझ पर आधारित है, जो हर हाल में विवाद निवारण समझौते की मौजूदगी पर कानून की एक बाध्यकारी वक्तव्य के रूप में माना नहीं जा सकता है।

19. उपर्युक्त कारणों के लिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार का आह्वान सही नहीं था और अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई विवाद निवारण समझौता नहीं होने के कारण, विवाद निवारण में कोई संदर्भ नहीं किया जा सकता था। हम इसलिए अपील को स्वीकार करते हैं और 29 नवंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आलोचित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। हालांकि, प्रतिवादी अपनी शिकायतों का निवारण पाने के लिए कानून में उपलब्ध उपाय की ओर बढ़ सकता है।

20 प्रतीक्षित आवेदन, यदि कोई हो, निपटा दिया जाता है।

बिभुति भूषण बोस अपील स्वीकृत की जाति है ।
(सहायक: राखी, LCRA)

विषय सूची

1 “कोल इंडिया CIL’’
2 “1996 Act’
3 (2007) 5 SCC 719
4 (1998) 3 SCC 573
5 (1999) 2 SCC 166
6 (2003) 7 SCC 418
7 (1996) 2 SCC 216
8 (2014) 10 SCC 630.

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित